

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रैवाडा
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान वायडी

—:आदेश:—

वायडी प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना एवं मंडवारी वायडी व भू.अ.नि.
की रिपोर्ट तथा उप तहसीलदार सातार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम वायडी तहसील रैवाडा जिला
उदयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 में खाता संख्या 132 में वर्तमान में दर्ज
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>वायडी</u>	<u>132</u>	<u>सुरेश कुमार रामजी मीणा</u>	<u>सुरजमल कुमार रामजी मीणा</u>

(उपखण्ड) अधिकारी
पीठासीन अधिकारी उदयपुर (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, _____

क्रमांक :- 2021/675

दिनांक :- 3/12/21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, रैवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री सुरजमल कुमार रामजी मीणा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(उपखण्ड) अधिकारी
पीठासीन अधिकारी उदयपुर (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, _____

पटवारी रिपोर्ट / भू.अ.नि.

मोजा बायडी में खालस. 132 में खतिदर का नाम सुरेश पुत्र रामजी
2075-76
की रिपोर्ट की शलबन (स्तावेज) अनुसार धार्मी का नाम सुरजमल पुत्र रामजी
की थी मन्! अन् खाने में खतिदर का नाम सुरेश पुत्र रामजी के बजाय
सुरजमल पुत्र रामजी किया जाना उचित है

Dinesh
04/12/21
ICR बड़वा

पटवारी
पटवार मण्डल
तह. खैरवाड़ा, जं. उदयपुर (राज.)

तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट भू.अ. नि. वृ. बड़वा व पटवारी बायडी की खालस. 132 में सुरेश पुत्र
रामजी के बजाय सुरजमल पुत्र रामजी किया जाने की अनुपंशा की जाती है।

8-3-21
तहसीलदार-खैरवाड़ा
जिला-उदयपुर

आदेश

तहसीलदार खैरवाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व गाँव लकीडा के खालस.
132 में खतिदर सुरेश पुत्र रामजी के बजाय मन् सुरजमल पुत्र रामजी
किया जाने के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
खैरवाड़ा जिला उदयपुर (राज.)